

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम


अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री कान्तिलाल उपाध्याय  
निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला सांतपुर  
तहसील आबूरोड  
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 10 वर्ष 2024

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जा इस हुकम की तामिल में जारी हुए
20.03.2024	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 09.02.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उपखण्ड कार्यालय आबूपर्वत द्वारा दिनांक 01.01.2023 से आज तक कार्यालय ग्राम पंचायत ओरिया(आबूपर्वत) को निर्माण सामग्री हेतु निर्माण कार्य अनुसार जो टोकन जारी किए गए हैं, उन सभी टोकनों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिये हैं। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 09.02.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उपखण्ड कार्यालय आबूपर्वत द्वारा दिनांक 01.01.2023 से आज तक कार्यालय ग्राम पंचायत ओरिया(आबूपर्वत) को निर्माण सामग्री हेतु निर्माण कार्य अनुसार जो टोकन जारी किए गए हैं, उन सभी टोकनों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">             (शुभम चौधरी)            जिला कलक्टर, सिरोही         </p>	

